

न्यायालय:-प्रथम अतिमोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,बालोद  
जिला बालोद {छ0ग0}

क्लेम प्रकरण क्रमांक-04/15.

संस्थापित दिनांक 14.01.2015

01. महेश कुमार लालवानी पिता लक्ष्मण दास, उम्र 52 साल,
02. श्रीमती रेखा लालवानी पति महेश कुमार, उम्र 50 साल,  
दोनों निवासी वार्ड नंबर 14, सिंधी कालोनी बालोद,  
जिला बालोद (छ0ग0)

-----आवेदकगण.

—::विरुद्ध::—

वरुण महेश्वरी पिता दिनेश महेश्वरी, उम्र 23 साल,  
निवासी-23/602 आशोका रतन व्ही0आई0पी0 स्टेट मोवा, रायपुर  
जिला रायपुर (छ0ग0)  
(वाहन इण्डिका विस्टा क्रमांक-सीजी-04/डी.टी./4042 का पंजीकृत स्वामी)

-----अनावेदक.

आवेदकगण द्वारा श्री खगेश्वर नंद अधिवक्ता ।

अनावेदक एकपक्षीय ।

—:: अधिनिर्णय ::—

(आज दिनांक- 09/10/2017 को घोषित किया गया)

01/ आवेदकगण की ओर से अनावेदक के विरुद्ध  
धारा-166 मो0यान अधिनियम-1988 के प्रावधानों के तहत इस  
आशय का क्षतिपूर्ति आवेदन पेश किया गया है कि दुर्घटना  
दिनांक 01.01.2014 को मृतक कैलाश लालवानी उसके मित्र  
विरेन्द्र कुमार चंद्राकर, वसीम अख्तर, राकेश जायसवाल एवं  
विककी साहू के साथ वाहन इंडिका विस्टा

कं0-सीजी-04-डी0टी0-4042 से चिटौद ढाबा गुरुर से बालोद वापस आ रहे थे उसी दौरान 2.30 बजे रात ग्राम सांकरा बंगला के नहर नाली के पास वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे घटना स्थल पर ही कैलाश लालवानी की मृत्यु हो गयी । इस प्रकार आवेदकगण को उक्त दुर्घटना से हुई क्षति के संबंध में उनके द्वारा 20,35,000/-रु0 ( बीस लाख, पैंतीस हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि उसे अनावेदक से क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित दिलाया जावे ।

02/ प्रकरण में अविवादित तथ्य कुछ भी नहीं है ।

03/ आवेदकगण की ओर से अनावेदकगण के विरुद्ध धारा-166 मो0यान अधिनियम-1988 संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 01.01.2014 को मृतक कैलाश लालवानी उसके मित्र विरेन्द्र कुमार चंद्राकर, वसीम अख्तर, राकेश जायसवाल एवं विक्की साहू के साथ वाहन इंडिका विस्टा कं0-सीजी-04-डी0टी0-4042 से चिटौद ढाबा गुरुर से बालोद वापस आ रहे थे उसी दौरान 2.30 बजे रात ग्राम सांकरा बंगला के नहर नाली के पास वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे घटना स्थल पर ही कैलाश लालवानी की मृत्यु हो गयी । उक्त घटना की सूचना पर थाना बालोद के अपराध कं0-01/2014 अपराध दर्ज किया गया। आवेदकगण द्वारा उन्हें हुई क्षति का आंकलन कर, अनावेदक के विरुद्ध 20,35,000/-रु0 ( बीस लाख, पैंतीस हजार रुपये) ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने बाबत आवेदन पेश किया गया है ।

04/ अनावेदक की ओर से आवेदकगण के आवेदन का जवाबदावा प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वाहन

इंडिका विस्टा कं०-सीजी-04-डी०टी०-4042 से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, झूठी रिपोर्ट पर अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, आवेदकगण द्वारा क्षति का आंकलन बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है, आवेदकगण को कोई क्षति नहीं हुई है, दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन में आई खराबी के कारण दुर्घटना कारित हुई है, जिससे कैलाश लालवानी की मृत्यु हुई है । आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु अनावेदक जिम्मेदार नहीं है । आवेदकगण का आवेदन खारिज किया जावे ।

05/ प्रकरण के विधिवत निराकरण हेतु आवेदकगण एवं अनावेदक के अभिवचनों व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नांकित वाद प्रश्न विरचित किए गए तथा साक्ष्य विवेचना उपरान्त उन्ही के समक्ष निष्कर्ष अंकित किए गए हैं:-

क्रं ०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	“क्या दुर्घटना दिनांक 01.01.2014 को सुबह 2.30 बजे बालोद धमतरी रोड़ पर ग्राम सांकरा(क) बंगला के नहर पुलिया के पास में अनावेदक के स्वामित्व की इंडिका विस्टा वाहन कं०-सीजी-04-डी०टी०-4042 को उपेक्षा से व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिससे उसमें बैठे कैलाश लालवानी की मृत्यु कारित हुई ?”	“ प्रमाणित हों ।”
02.	“क्या दुर्घटना दिनांक 01.01.2014 को मृतक कैलाश लालवानी की मासिक आय 15,000/-रूपये थी?”	“ 6,500/-रु० प्रतिमाह आय अर्जित करना प्रमाणित ।”
03.	“क्या दुर्घटना दिनांक 01.01.2014 को मृतक की आयु 24 वर्ष थी?”	“ प्रमाणित हों ।”
04.	“क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे और कितनी? पैरा-9 के अनुसार	अधिनिर्णय की

		निराकृत ।
05.	“सहायता एवं व्यय?”	अधिनिर्णय के पैरा-10 के अनुसार आवेदन आंशिक रूप से स्वीकृत ।

—:: वाद प्रश्न क्र०-01 पर सकारण निष्कर्ष ::—

06/ आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदक साक्षी महेश कुमार लालवानी आ०सा०-1, जो मृतक के पिता है, ने आवेदकगण द्वारा उनके आवेदन धारा 166 मो०यान अधि० में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक-01.01.2014 को चितौद ज्योति कुंज ढाबा से उसका पुत्र टाटा इंडिका विस्टा क्र०-सीजी-04-डी०टी०-4042 से अन्य चार साथी वसीम अख्तर, विक्की साहू, राकेश जायसवाल, विरेन्द्र चंद्राकर के साथ आ रहा था उसी दौरान रात्रि के 2.30 बजे ग्राम सांकरा बंगला के नहर नाली के पास अनियंत्रित होकर उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसके पुत्र कैलाश लालवानी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी । आवेदकगण की ओर से आवेदन के समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन प्र०पी० 01, अकाल मृत्यु की सूचना पंजी प्र०पी० 02, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 03, नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 04, शव परीक्षण आवेदन प्र०पी० 05, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 06, नजरी नक्शा प्र०पी० 07, जप्तीपत्रक 08, शव सुपुर्दनामा प्र०पी० 09, आरक्षक क्र० 227 का थाना वापसी प्र०पी० 10, आपताकालीन मूल्यांकन प्रपत्र प्र०पी० 11, जे०एल०एम० हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर का प्रिस्क्रिपशन

प्र०पी० 12, वाहन मुलाहिजा रिपोर्ट प्र०पी० 13, डॉ० जे०के० चंद्राकर का थाना प्रभारी बालोद को प्रारंभिक उपचार के बाद आगे उपचार हेतु भेजी गई सूचना प्र०पी० 14, धारा-175 का नोटिस प्र०पी० 15, वाहन कं० सी०जी० 04/डी०टी०/4042 का रजिस्ट्रेशन प्र०पी० 16, वाहन कं० सी०जी० 04/डी०टी०/4042 का सुपुर्दनामा आदेश प्र०पी० 17, कैलाश लालवानी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र०पी० 18, कैलाश लालवानी का निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र प्र०पी० 19, खात्मा की सूचना प्र०पी० 20, वाहन कं० सी०जी० 04/डी०टी०/4042 का इंश्योरेंस प्र०पी० 21 पेश किया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन प्र०पी० 01, अकाल मृत्यु की सूचना पंजी प्र०पी० 02, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 03, नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 04, शव परीक्षण आवेदन प्र०पी० 05, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 06, नजरी नक्शा प्र०पी० 07 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक को रात्रि 2.30 बजे ग्राम सांकरा बंगला के नहर नाली के पास अनावेदक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने से वाहन टाटा इंडिका विस्टा कं०-सीजी-04-डी०टी०-4042 अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कैलाश लालवानी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। अतः वाद प्रश्न कमांक-01 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप में दिया जाकर निष्कर्ष के समक्ष “प्रमाणित हां” अंकित किया गया।

—:: वाद प्रश्न क०-02 एवं 03 पर सकारण निष्कर्ष ::—

07/ आवेदकगण द्वारा उनके आवेदन धारा 166 मो०यान अधि० में इस संबंध में किये गये अभिवचनों के समर्थन में मृतक के पिता महेश कुमार लालवानी आ०सा०-1 ने कथन किया है कि उसका पुत्र नया बस स्टैंड बालोद में विककी मोबाईल नामक

मोबाईल शाप चलाकर, 15,000/—रु0 प्रतिमाह कमा लेता था और वह अविवाहित होकर, 24 वर्षीय था तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका-04 में स्वीकार किया है कि उसने अपने मृतक पुत्र की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । इस प्रकार आवेदक की ओर से मृतक की आय के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, वहीं आवेदक के अभिवचन के अनुसार मृतक की आयु 24 वर्ष उसकी ओर से प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेज नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 04, शव परीक्षण आवेदन प्र0पी0 05, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 06 में मृतक कैलाश लालवानी की आयु 24 वर्ष होने की पुष्टी होती है। ऐसी दशा में मृतक कैलाश लालवानी की उम्र 24 वर्ष होना प्रमाणित पाया जाता है, किंतु मृतक कैलाश लालवानी मोबाईल दुकान से प्रतिमाह 15 हजार रुपये आय अर्जित करता था, यह विधिवत प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है फिर भी मृतक कैलाश लालवानी 24 वर्षीय होकर हस्तपुष्ट व्यक्ति था और वह अपने जीवनकाल में अपने माता-पिता का पालन पोषण करता था।

08/ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा- 05 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जो अधिसूचना जारी की जाती है उसके अनुसार छ0ग0 शासन, श्रम विभाग के द्वारा दिनांक-01.05.2017 को अधिसूचना कृमांक-एफ 10-4/2016/16 जारी किया गया है, जिसमें अकुशल श्रमिक की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 320/—रुपये निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार मृतक का कम से कम 250/—रुपये प्रतिदिन का आय होना माना जा सकता है। इस प्रकार महिने में अवकाश की अवधि को निकालने के पश्चात मृतक के द्वारा कुल 26 कार्य दिवस में कार्य करना माना जायेगा, अर्थात्

250×26=6,500/—रूपये होता है। अतः मृतक का मासिक आय न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 06,500/—रूपये होने का आंकलन किया जाता है। अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह प्रमाणित पाया जाता है कि दुर्घटना दिनांक को मृतक कैलाश लालवानी 24 वर्षीय होकर, 06,500/—रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। अतः वाद प्रश्न कमांक-02 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में दिया जाकर, निष्कर्ष के समक्ष 6,500/—रु० प्रतिमाह आय अर्जित करना अंकित किया गया तथा वाद प्रश्न कं०-3 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप में दिया जाकर निष्कर्ष के समक्ष “प्रमाणित हां” अंकित किया गया।

—:: वाद प्रश्न क०-4 पर सकारण निष्कर्ष ::—

09/. प्रकरण में चूंकि दुर्घटना दिनांक को रात्रि 2.30 बजे ग्राम सांकरा बंगला के नहर नाली के पास अनावेदक द्वारा उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने से वाहन टाटा इंडिका विस्टा कं० — सीजी-04-डी०टी० — 4042 अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होना और उक्त दुर्घटना से कैलाश लालवानी की घटना स्थल पर ही मृत्यु होना प्रमाणित पाया गया है। जिससे आवेदक अनावेदक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रकरण में मृतक कैलाश लालवानी की उम्र 24 वर्ष एवं आय 6,500/—रूपये प्रतिमाह प्रमाणित पायी गयी है तथा आवेदक मृतक के पिता है, ऐसी दशा में श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य-2009-(2) ए० सी०सी०डी०-924 (ए०सी०) के अनुसार चूंकि मृतक अविवाहित था तथा उस पर उसके माता-पिता आश्रित थे, ऐसी दशा में मृतक की आय पर 1/2 खर्च को काटकर उसकी आय की गणना की जावेगी। जिसके आधार पर यदि मृतक कैलाश

लालवानी जीवित होता तो अपनी वार्षिक आय के 1/2 भाग स्वयं पर खर्च करता एवं शेष भाग अपने परिवार पर खर्च करता, इस प्रकार मृतक की मासिक आय 06,500/—रूपये होना प्रमाणित पाया गया है, जिस पर उसकी वार्षिक आय 78,000/—रूपये में से 1/2 की कटौती करने के उपरांत आवेदक की वार्षिक आश्रितता राशि 39,000/—रूपये होती है। प्रकरण में मृतक की आयु 24 वर्ष आंकी गयी है। ऐसी दशा में 18 का गुणांक प्रयोज्य होता है। अतः आश्रितता राशि में 18 का गुणांक प्रयोज्य करने पर अर्थात्  $39,000 \times 18 = 7,02,000/—$ रूपये क्षतिपूर्ति राशि होती है। इस प्रकार कैलाश लालवानी की मृत्यु होने पर आवेदकगण को आश्रितता की क्षति 7,02,000/—रु० + मृतक के माता-पिता को प्यार दुलार से वंचित होने की क्षति 1,00,000/—रु० + अंतिम क्रियाकर्म की क्षति 25,000/—रु० कुल क्षति राशि—08,27,000/—रु० (आठ लाख सत्ताबीस हजार रु०) का होना स्वीकार किया जाता है, जिसे आवेदकगण अनावेदक से प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वाद प्रश्न कमांक-04 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप में दिया जाकर निष्कर्ष के समक्ष “हां” पैरा-09 के अनुसार अंकित किया गया।

—:: सहायता एवं व्यय ::—

10/ प्रकरण में उपरोक्तानुसार संपूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आवेदकगण आवेदन धारा-166 मो०यान अधिनियम 1988 को आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, परिणामस्वरूप आवेदकगण का आवेदन धारा-166 मो०यान अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम-1994 निम्नांकित अनुतोषों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है :-



(अ) आवेदकगण को क्षतिपूर्ति की राशि 08,27,000/—रु0 (आठ लाख सत्ताबीस हजार रु0) अनावेदक आवेदन दिनांक से अदायगी दिनांक तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 02 माह के भीतर अदा करेगा ।

(ब) यह कि यदि आवेदकगण के द्वारा अन्तरिम क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त की गई हो तो वह राशि अधिनिर्णय की राशि में समायोजित की जावेगी।

(स) यह कि क्षतिपूर्ति की राशि—08,27,000/—रु0 (आठ लाख सत्ताबीस हजार रु0) मय ब्याज जमा होने पर आवेदकगण को 50—50 हजार रुपये एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से नगद देय होगी तथा शेष राशि बराबर—बराबर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 05 वर्ष के लिए सावधि खाते में जमा होगी, जो समयावधि पूर्व व पश्चात अधिकरण के अनुमति के बगैर देय नहीं होगी ।

(द). यह कि अनावेदक स्वयं एवं आवेदकगण का वाद व्यय वहन करेगा।

(इ) यह कि अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगा।

“तदनुसार व्यय तालिका तैयार किया जावे”

अधिनिर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित मेरे निर्देशानुसार  
कर पारित किया गया। टंकित किया गया।

स्थान—बालोद  
दिनांक—09.10.2017

sd/-  
(विजय कुमार मिंज)  
प्रथम अ0मो0दु0दावा अधिकरण बालोद  
जिला—बालोद (छ0ग0)